दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009
नैक द्वारा A++ श्रेणी प्रत्यायित
Accredited A++ by NAAC

विश्वविद्यालय के केन्द्रीय ग्रन्थालय में मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण/इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन

Advt. No.:222/केन्द्रीय ग्रन्थालय/2024 **Date : 12-06-2024**

केन्द्रीय ग्रन्थालय में 03 वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 (तीन वर्ष) के लिए मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति के लिए अधिकृत विक्रेताओं के रूप में शामिल होने के लिए प्रतिष्ठित पुस्तक प्रकाशकों/वितरकों/आपूर्तिकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियम और शर्तों की प्रति के साथ निर्धारित आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://ddugu.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

इच्छुक पुस्तक विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/वितरक इस दस्तावेज में दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों की एक प्रति के साथ स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या कार्यालय में जमा कर सकते हैं। लिफाफे पर **"मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन"** अंकित होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र दिनांक **12–07–2024** को सायं 5.00 बजे तक जमा किया जायेगा। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
सिविल लाइन, गोरखपुर–273009

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पुस्तक आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण/इम्पैनलमेन्ट हेतु आवेदन

Advt. No. :222/ केन्द्रीय ग्रन्थालय/2024 **Dt. 12-06-2024**

केन्द्रीय ग्रन्थालय में मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति हेतु पुस्तक प्रकाशकों/वितरकों/आपूर्तिकर्ताओं से पंजीकरण/इम्पैनलमेन्ट हेतु आवेदन आमंत्रित है। नियम और शर्तों की प्रति के साथ निर्धारित आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट **http://ddugu.ac.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्राप्त/जमा होने की अंतिम तिथि **12/07/2024** को सायं **5.00** बजे तक है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

कुलसचिव

पैनल में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड (नियम एवं शर्तें) :

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–2024 से 2025–26 (तीन वर्षों) के लिए केंद्रीय ग्रन्थालय में मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति के लिए अधिकृत विक्रेता के रूप में पैनलबद्ध होने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिष्ठित पुस्तकों के आपूर्तिकर्ताओं/प्रकाशकों/ वितरकों/विक्रेताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

1. निविदाकर्ता को फेडरेशन ऑफ पब्लिशर्स एंड बुकसेलर्स एसोसिएशन इन इंडिया (एफपीबीएआई)/ दिल्ली स्टेट बुकसेलर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएसबीपीए)/अन्य राज्य/राष्ट्रीय बुकसेलर्स और पब्लिशर्स एसोसिएशन फेडरेशन का सदस्य होना चाहिए। प्रस्ताव के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।
2. निविदाकर्ता के आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) की छाया प्रति संलग्न करें।
3. वितरकों/विक्रेताओं को प्रस्ताव के साथ वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आयात/निर्यात कोड (आईईसी) प्रमाणपत्र का लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा।
4. निविदाकर्ता ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी भी दस केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय में मुद्रित पुस्तकों (Print Books) की संतुष्टि पूर्ण आपूर्ति की हो तथा इनके आदेश एवं संतुष्टि पूर्ण आपूर्ति के प्रमाण–प्रत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
5. विश्वविद्यालय द्वारा चयनित फर्म को पुस्तक आपूर्ति करने हेतु किसी प्रकार का कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। आपूर्ति विश्वविद्यालय में निश्चित विभाग में करना होगा।
6. निविदाकर्ता का औसत टर्नओवर पिछले तीनों वित्तीय वर्षों में मुद्रित पुस्तकों (Print Books) की आपूर्ति में कम से कम रु0 तीन करोड़ रूपये का रहा हो। पिछलें तीनो वित्तीय वर्षों का चार्टर्ड अकाउंटेंट (सी. ए.) द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र एवं आडिटेड बैलेन्स शीट संलग्न करें।
7. निविदाकर्ता को पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2022–2023, 2021–22 अथवा 2020–2021 में किसी भी एक वित्तीय वर्ष में केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय में मुद्रित पुस्तकों (Print Books) का अपने उच्चतम राशि की मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति का एकल आदेश एवं उसके संतुष्टिपूर्ण आपूर्ति के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
8. आयकर के पिछले तीन एसेस्मेंट वर्ष (2023–24, 2022–23, 2021–22) का प्रमाण पत्र/विवरण की छाया प्रति संलग्न करें।
9. निविदाकर्ता को प्रकाशकों का वितरक/डीलर/स्टॉकएस्ट/कार्यकारी होना चाहिए। प्रकाशकों द्वारा जारी प्राधिकार पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
10. क्रयादेश के अनुसार ही पुस्तकों की आपूर्ति करनी होगी अन्यथा भुगतान नहीं होगा।
11. निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 3,000/– + 18% जी.एस.टी = 3,540/–(तीन हजार पाँच सौ चालीस

रूपये मात्र) (जो कि वापसी योग्य नहीं) मात्र है, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के पक्ष में देय हो, द्वारा जमा करना है।

12. सुरक्षानिधि रु. 3,00,000/–(रुपये तीन लाख मात्र) है, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के पक्ष में देय हो, द्वारा भी जमा करना है जो कि पंजीकरण की अवधि के संतोषजनक समाप्ति के बाद वापस कर दिया जाएगा। यदि चयनित आपूर्तिकर्ता आदेशित की गई मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति संतोषजनक ढंग से करने में विफल रहता है तो सुरक्षानिधि राशि जब्त कर ली जाएगी। अयोग्य विक्रेता की सुरक्षानिधि राशि वापस कर दी जाएगी। सुरक्षानिधि राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।

13. पुस्तकों की केवल नवीनतम संस्करण ही आपूर्ति की जाएगी।

14. आपूर्ति की गयी पुस्तकों की बाइंडिग व पेपर उत्तम स्तर का होना चाहिए अन्यथा पुस्तकों को वापस ले जाना होगा।

15. कयादेश के अनुसार पुस्तकों की आपूर्ति नहीं होने पर, पुस्तक के पृष्ठ फटे होने पर, उत्तम बाइंडिग न होने पर पुस्तकों को उपहार स्वरुप मान लिया जायेगा और पुस्तक आपूर्तिकर्ता के किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

16. आपूर्ति की गई पुस्तकें बिना किसी दोष/क्षतिग्रस्त के नयी और अच्छी स्थिति में होनी चाहिए।

17. यदि कीमत किताब पर मुद्रित नहीं है, तो मूल्य प्रमाण के रूप में एक वैध प्रकाशक की ऑफलाइन/ऑनलाइन कैटलॉग या वेबसाइट या प्रकाशक/वितरक चालान को बिल के साथ प्रमाणित कर संलग्न किया जाना आवश्यक है।

18. **छूट संरचना:–**

छूट संरचना की दरें निम्नानुसार हैं:–

All books, (except reference sources viz., handbooks, dictionaries encyclopedias and multi volume set)-	20%
Reference source viz., handbooks, dictionaries , encyclopedias and Multi volume set	30%
*Government publication	10%
Remaindered Titles/Books	50%

*There shall be no discount on such Government Publications and other publications on which the suppliers do not get any discount, on production of documentary evidence)

1. पुस्तकों के नवीनतम संस्करण की आपूर्ति की जाएगी।

2. विदेशी प्रकाशन के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रूपांतरण दर बिलिंग की तारीख से लागू होगी।

3. बिल की हार्ड व सॉफटकापी केन्द्रीय ग्रन्थालय के नमूने के अनुसार विषयावार अलग–अलग देना/प्रस्तुत करना होगा।

4. निविदाकर्ता किसी भी शासकीय संस्थान से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र रु. 100 के गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर शपथ पत्र विधिवत प्रस्तुत करना होगा।

5. विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त नियम एवं शर्तों के आधार पर अधिकतम दस पुस्तक आपूकर्ताओं का पंजीकरण (Empanelment/Registration) किया जायेगा।

6. विश्वविद्यालय अधिकतम तीन स्थानीय पुस्तक आपूर्तिकर्ताओं को जिनका रजिर्स्टड ऑफिस इसी शहर में हैं। (प्रूफ संलग्न करे) स्थानीय पुस्तके/अतिशीघ्र आवश्यकताओं की पुस्तको की आपूर्ति के लिये स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को रजिर्स्टड करेगा। जिसके लिये रजिस्ट्रेशन की शर्तो में निम्नानुसार छूट है।

(क) निविदाकर्ता ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी भी दो केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय में मुद्रित पुस्तकों (Print Books) की संतुष्टि पूर्ण आपूर्ति की हो तथा इनके आदेश एवं संतुष्टि पूर्ण आपूर्ति के प्रमाण–प्रत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

(ख) निविदाकर्ता का औसत टर्नओवर पिछले तीनों वित्तीय वर्षो में कम से कम रु. एक करोड़ रूपये का रहा हो।

(ग) भारत सरकार द्वारा जारी आयात/निर्यात कोड (आईईसी) प्रमाणपत्र का लाइसेंस प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

(घ) स्थानीय विक्रेता के लिए मात्र एक लाख सुरक्षा निधि देय होगा।

स्थानीय विक्रेताओं को उपरोक्त शर्तो में छूट के अलावा शेष शर्ते यथावत रहेगी। चयनित स्थानीय विक्रेताओं कों अन्य चयनित विक्रेताओं के समान राशि का क्रयादेश देने के लिए विश्वविद्यालय बाध्य नहीं होगा।

7. विश्वविद्यालय सभी योग्य आपूर्तिकर्ताओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। योग्य आपूर्तिकर्ता की स्वीकृति उसके चयन मानदंडों पर विश्वविद्यालय पर निर्भर करती है। मुद्रित पुस्तकों की आपूर्ति के लिए विक्रेता के चयन से संबंधित किसी भी विवाद पर विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8. विक्रेताओं के बीच ऑर्डर वितरित करना पूरी तरह से विश्वविद्यालय का विवेकाधिकार होगा, एक विक्रेता को कम या अधिक मूल्य का ऑर्डर या कोई ऑर्डर नहीं मिल सकता है। अधिक मूल्य या कम मूल्य के ऑर्डर प्राप्त करने के लिए किसी भी विक्रेता के किसी भी दावे पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।